अंचल अधिकारी गोविन्दपुर का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या— 80 (VI) 18-19

वाद का प्रकार— बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

02/4/18 झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक—2074 / रा0, दिनांक—13.05.2016 सहपठित—श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू—अर्जन—सह—विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या—3—ख0म0मिसि—110 / 85 / 2306 / रा0, दिनांक—03.09.1986 एवं सह—पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या—914 / रा0, दिनांक—09.12.1996 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :—

मौजा— सिदिया, थाना— 134, खाता संख्या— 55, प्लॉट संख्या— 534536 483,1524 रकबा— 1.92 ए० एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी—II के जिल्द संख्या— I के पृष्ठ संख्या— 183, पर जमाबंदी रैयत अब्दुल....मियाँ के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कार बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू—खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें साथ ही उनको कारण—पृच्छा करें कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक— 9/4/18 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

2/4/18

अंचल अधिकारी

...\New\Awaidh Jamabandi.docx

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
09.4.18	अभिलेख उपरथापित। संवंधित जमावंदी रैयत का नोटिस तामिला प्राप्त हुआ। नोटिस के आलोक में निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा उपर्युक्त भू–खण्ड से संवंधित दस्तावेजो/निर्गत लगान रसीद की प्रति एंव अन्य राजस्व दस्तावेजो की प्रति समर्पित किया हैं/नहीं किया हैं, जो अभिलेख में संलग्न है। अभिलेख दिनांक 16.4.18 को उपरथापित करें। अंचल अधिकारी गोविन्दपुर	
16.4.18	अभिलेख उपरथापित। संवंधित राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया हैं, कि उपर्युक्त भू–खण्ड गैर आबाद खाता की है। मौजा मितिपा थाना सं0 134 प्लॉट सं0 534 एवं 314 कुल रकवा– 1.92 ए जो जमावंदी संख्या– 182 में निहित है। जमावंदी रैयतों के वंशज द्वारा समर्पित साक्ष्य स्वरूप सरकारी भूमि का दस्तावेज वो लगान रसीद समर्पित हैं। वर्णित जमावंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर निर्गत लगान रसीद/जबर दखल के आधार पर जमावंदी कायम की गयी है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त विवरणी की भूमि की सृजित जमावंदी संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है। राजस्व कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा वर्णित जमाबंदी सं0– 182 को रद्द करने हेतू जॉच प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया है। अनुशंसित जॉच प्रतिवेदन से से सहमत होते हुए अभिलेख मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतू भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद को भेजे। अंचल अधिकारी गोविन्दपुर	खाता 55

अभिलेख आज उपस्थापित/ अंचल अधिकारी अधिसूचना[illegible] के पत्रांक 600 दिनांक 18/4/18 द्वारा अभिलेख प्राप्त है। जमाबंदी धारक को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत कर एवं अभिलेख दिनांक 25/5/18 को प्रस्तुत करे।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
धनबाद।

25/5/18. अभिलेख आज उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त है। विपक्षी की उपस्थिति प्राप्त है एवं कागजात दाखिल करेंगे। अभिलेख दिनांक 19/6/18 को प्रस्तुत करें।

भू०सु०उपसमाहर्त्ता।

17/8/18 अभिलेख आज उपस्थापित। विपक्षी की ओर से [illegible] हाजिरी प्राप्त है। [illegible] अब्दुल मियां के पुत्र [illegible] मियां ने अपना कागजात समर्पित किया। [illegible] सरकारी अधि० का मंतव्य प्राप्त कर 31/7/18 को [illegible]

31/7/18 अभिलेख आज उपस्थापित। विपक्षी अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 31/8/18 को प्रस्तुत करें।

भू०सु०उपसमाहर्त्ता।